सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 67

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6505.89	7.23	6513.12	6984.27	27.02	7011.29	6985.09	26.20	7011.29	7513.20	59.00	7572.20
वसूलियां	-3.65	...	-3.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	6502.24	7.23	6509.47	6984.27	27.02	7011.29	6985.09	26.20	7011.29	7513.20	59.00	7572.20
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	19.12	...	19.12	20.66	...	20.66	22.66	...	22.66	22.42	...	22.42
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	31.18	...	31.18	32.87	...	32.87	35.23	...	35.23	34.43	...	34.43
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**50.30**	**...**	**50.30**	**53.53**	**...**	**53.53**	**57.89**	**...**	**57.89**	**56.85**	**...**	**56.85**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान (के जी)	660.52	...	660.52	308.51	...	308.51	370.51	...	370.51	383.60	...	383.60
4. ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	56.81	...	56.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.)	1.68	...	1.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	146.03	...	146.03	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7. बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता	164.00	...	164.00	103.33	...	103.33	103.33	...	103.33	...	...	...
8. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	86.03	...	86.03	125.00	...	125.00	185.00	...	185.00	464.85	...	464.85
9. कयर विकास योजना	75.93	...	75.93	70.50	...	70.50	73.50	...	73.50	103.87	...	103.87
10. कयर उद्यमी योजना	6.00	...	6.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
11. खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42	...	0.20	0.20	...	0.70	0.70
12. सोलर चरखा मिशन	2.50	...	2.50	143.50	...	143.50	46.07	...	46.07	100.00	...	100.00
13. खादी विकास योजना	...	...	...	396.46	...	396.46	366.46	...	366.46	370.00	...	370.00
14. ग्रामोद्योग विकास योजना	...	...	...	102.92	...	102.92	82.92	...	82.92	102.92	...	102.92
जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास	**1199.50**	**0.57**	**1200.07**	**1252.23**	**0.42**	**1252.65**	**1229.79**	**0.20**	**1229.99**	**1525.24**	**0.70**	**1525.94**
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
15. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर)	219.34	...	219.34	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम	1007.09	...	1007.09	705.78	...	705.78	805.58	...	805.58	653.91	...	653.91
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	**1226.43**	**...**	**1226.43**	**755.78**	**...**	**755.78**	**815.58**	**...**	**815.58**	**683.91**	**...**	**683.91**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
17. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	2118.80	...	2118.80	2327.10	...	2327.10	2464.44	...	2464.44	2500.00	...	2500.00
18. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)	30.89	...	30.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. ऋण सहायता कार्यक्रम	744.95	...	744.95	597.00	...	597.00	555.16	...	555.16	100.00	...	100.00
20. निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम	8.07	...	8.07	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	...	...	...
21. एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	275.00	...	275.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	**3177.71**	**...**	**3177.71**	**3274.14**	**...**	**3274.14**	**3369.64**	**...**	**3369.64**	**2800.00**	**...**	**2800.00**
विपणन संवर्धन स्कीम												
22. प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए)	8.56	...	8.56	87.60	...	87.60	87.60	...	87.60	54.59	...	54.59
23. विपणन सहायता स्कीम (एमएएस)	3.31	...	3.31	10.03	...	10.03	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
24. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	4.80	...	4.80	30.00	...	30.00	7.00	...	7.00	20.00	...	20.00
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	**16.67**	**...**	**16.67**	**127.63**	**...**	**127.63**	**94.64**	**...**	**94.64**	**74.63**	**...**	**74.63**
उद्यमिता और कौशल विकास												
25. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	8.88	...	8.88	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
26. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	156.07	...	156.07	327.91	...	327.91	314.92	...	314.92	258.92	...	258.92
27. सूचना, शिक्षा और संचार	...	...	...	10.00	...	10.00	6.30	...	6.30	6.55	...	6.55
28. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	22.27	...	22.27	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
29. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	0.19	...	0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	...	...	...	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
31. निधियों की निधि	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	**187.41**	**...**	**187.41**	**479.91**	**...**	**479.91**	**461.23**	**...**	**461.23**	**556.47**	**...**	**556.47**
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
32. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	308.62	...	308.62	419.57	...	419.57	470.76	...	470.76	801.70	...	801.70
33. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	...	...	...	125.12	...	125.12	135.11	...	135.11	200.00	...	200.00
34. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	257.43	...	257.43	350.00	...	350.00	250.00	...	250.00	400.00	...	400.00
35. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	6.66	6.66	...	26.60	26.60	...	26.00	26.00	...	58.30	58.30
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	**566.05**	**6.66**	**572.71**	**894.69**	**26.60**	**921.29**	**855.87**	**26.00**	**881.87**	**1401.70**	**58.30**	**1460.00**
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
36. डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम	3.97	...	3.97	23.10	...	23.10	18.88	...	18.88	27.25	...	27.25
37. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.28	...	0.28	1.57	...	1.57	1.57	...	1.57	1.26	...	1.26
38. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	77.57	...	77.57	121.69	...	121.69	80.00	...	80.00	150.00	...	150.00
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	**81.82**	**...**	**81.82**	**146.36**	**...**	**146.36**	**100.45**	**...**	**100.45**	**178.51**	**...**	**178.51**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**6455.59**	**7.23**	**6462.82**	**6930.74**	**27.02**	**6957.76**	**6927.20**	**26.20**	**6953.40**	**7220.46**	**59.00**	**7279.46**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
39. वास्तविक वसूलियां	-3.65	...	-3.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
40. ऋण से जुड़े पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस)-राज्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	151.44	...	151.44
41. खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	29.00	...	29.00
42. प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम-राज्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55.45	...	55.45
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**235.89**	**...**	**235.89**
कुल जोड़	***6502.24***	***7.23***	***6509.47***	***6984.27***	***27.02***	***7011.29***	***6985.09***	***26.20***	***7011.29***	***7513.20***	***59.00***	***7572.20***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	6.66	6.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**6.66**	**6.66**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
2. ग्राम एवं लघु उद्योग	6484.16	...	6484.16	6208.35	...	6208.35	6207.17	...	6207.17	6516.15	...	6516.15
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	19.12	...	19.12	20.66	...	20.66	22.66	...	22.66	22.42	...	22.42
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	26.60	26.60	...	26.00	26.00	...	58.30	58.30
5. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42	...	0.20	0.20	...	0.70	0.70
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**6503.28**	**0.57**	**6503.85**	**6229.01**	**27.02**	**6256.03**	**6229.83**	**26.20**	**6256.03**	**6538.57**	**59.00**	**6597.57**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	755.26	...	755.26	755.26	...	755.26	758.93	...	758.93
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.04	...	-1.04	...	...	...	...	...	...	215.70	...	215.70
जोड़-अन्य	**-1.04**	**...**	**-1.04**	**755.26**	**...**	**755.26**	**755.26**	**...**	**755.26**	**974.63**	**...**	**974.63**
कुल जोड़	**6502.24**	**7.23**	**6509.47**	**6984.27**	**27.02**	**7011.29**	**6985.09**	**26.20**	**7011.29**	**7513.20**	**59.00**	**7572.20**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	29.02	...	29.02	...	205.00	205.00	...	150.00	150.00	...	205.00	205.00
2. कैयर बोर्ड	...	...	...	...	4.00	4.00	...	...	...	...	...	...
जोड़	**29.02**	**...**	**29.02**	**...**	**209.00**	**209.00**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**205.00**	**205.00**

1. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वयन और मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्तं (सूलमउ) के स्थापना संबंधित व्यय के लिए है।

3. **खादी अनुदान (के जी):** इस उप शीर्ष के तहत बजटीय आबंटन का उद्देश्य केवीआईसी के कार्मिकों के वेतन, पेंशन, टीए, डीए और आकस्मिक का संबंधी व्यय को पूरा करना है।

4. **ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान:** इस उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का आशय प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उपयुक्त आईटी सहायता के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना, नए उत्पादों के विकास के लिए आबंटन, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों तथा केवीआईसी/केवीआईबी से संबद्ध संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन विकास शुरू करना, सामान्य सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

5. **खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.):** इस उप-शीर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए बजटीय आबंटन का प्रावधान है। इन परियोजनाओं से कार्य को पिरसता में कमी की संभावना प्रदर्शित होगी, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए उत्पादों/प्रक्रियाओं की शुरूआत होगी।

6. **खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता):** भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध कराकर खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) को प्रारम्भ और समर्थित किया गया था। भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन के दृष्टिगत खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास संभावना का पूर्णत: लाभ उठाना, कारीगरों की आय में वृद्धि करना, यंत्रों को बदलना और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना तथा खादी का बाजार की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप स्थान भी सुनिश्चित करना है। इस स्कीम को खादी विकास योजना में सम्मिलित किया गया है। इस स्कीम को खादी विकास योजना में सम्मिलित किया गया है।

7. **बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बाजार विकास सहायता स्कीम को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है। एमपीडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/विभिन्न शीर्ष घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार की गई है। अवसंरचना के एक घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है।

8. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** स्फूर्ति योजना परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को अपनी दीर्घकालिक स्थिरता और बड़े पैमाने पर उत्पादकता से लागत में कमी से लाभ के लिए क्लस्टर में संगठित करके सहायता प्रदान करने के लिए पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु 2005-06 में शुरू की गई थी और इसका 2014-15 में फिर पुनरुथान किया गया था। भारत सरकार ने पुनरुत्थित स्फूर्ति को XII वीं योजना (2012-17) के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित मानदंडों के साथ अनुमोदन कर दिया था। प्रारंभ में, पहले चरण में, देश भर 149.44 करोड़ का परिव्यय से 71 क्लस्टर विकसित किए जाने थे।

9. **कयर विकास योजना:** कॅयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित कॅयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसका उद्देश्य कॅयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना और पारंपरिक उद्योगों में लगे कामगारों के जीवन परिस्थितियों में सुधार लाना है। कॅयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को शुरू करना, नए उत्पाद एवं डिजाइन विकसित करना और भारत और विदेशों में कॅयर और कॅयर उत्पादों के विपणन में सहयोग देना शामिल है। यह भूसे, कॅयर के रेशे, कॅयर के सूत के उत्पादकों और कॅयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को भी बढ़ावा देता है और उत्पादकों और विनिर्माता इत्यादि को उचित मजदूरी सुनिश्चित करता है। कॅयर विकास योजना के अंतर्गत कॅयर क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, एक्सपोजर दौरे आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कॅयर उद्योग के लिए अपेक्षित कुशल श्रमशक्ति सृजित करने के लिए बोर्ड मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कौशल विकास और रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना) के माध्यम से, नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना (उत्पादन अवसंरचना का विकास (डीपीआई), सीआईटीयूएस और पीएमईजीपी योजनाओं के माध्यम से) और पीएमएसवीवाई के माध्यम से कॅयर कामगारों का कल्याण करना इसमें शामिल है । इस रूप में कयर उद्यमियों को निर्यात और घरेलू स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है।

10. **कयर उद्यमी योजना:** ऋण और अग्रिम:केवीआइसी, कॉयर बोर्ड और एमगिरी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए इस उपशीर्ष के तहत एक बजट प्रावधान किया गया है।

11. **खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण:** केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग केयर बोर्ड और एमजीआईआरआई के कार्मिकों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए इस उपशीर्ष के तहत बजट प्रावधान किया गया है।

12. **सोलर चरखा मिशन:** वर्ष 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में सोलर चरखा संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऐसे 50 समूहों की स्थापना करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस योजना के तहत लगभग एक लाख व्यक्तियों के सीधे रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत सोलर चरखा समूहों की स्थपना की योजना है जो लगभग मुख्य गांव और 8 से 10 किलोमीटर तक के दायरे वाले आस-पास के गांवों को कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, इस समूह के लाभार्थियों की संख्या 200 से 2042 तक, अर्थात् चरखा चलाने वाले, बुनकर; सिलाई करने वाले और अन्य कुशल कारीगर होगी।

13. **खादी विकास योजना:** खादी विकास योजना (केवीवाई) में (1) रोजगार युक्त गांव, (2) डिजाइन गृह (डीएच) जैसे घटक और (3) बाजार संवर्धन विकास कार्यक्रम (एमपीडीए), (4) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी), (5)खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) जैसी मौजूदा योजनाएं शामिल हैं।

14. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए अन्य सहयोग और सेवाओं के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन और विकास।

15. **नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 18.3.2015 को नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यिता संवर्धन (एस्पायर) योजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य उद्यिता को गति देना और कृषि उद्योग में नवोन्मेष और उद्यमशीलता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। योजना 2015-16 में प्रारंभ की गयी थी ।

योजना के मुख्य घटकों का ध्यान इनकी स्थापना पर केन्द्रित है:- (क) लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और (ग) सिडबी के अन्तर्गत निधियों की निधि।

16. **ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम:** कार्यक्रम में एमएसएमई को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन सहायता (टीईक्यूयूपी); राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (6 योजनाएं) जैसे: लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, विनिर्माण संबंधी एमएसएमई क्षेत्र के लिए डिजाइन व्यय, डिजिटल एमएसएमई, इंक्यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग, एमएसएमई के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर जागरूकता, जेड प्रमाणीकरण योजना (जेड स्कीम) में एमएसएमई को वित्तीय सहयोग शामिल है।

17. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) स्कीमों का विलय करके 2008-09 में शुरू की गई। पीएमईजीपी का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये है।

18. **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** मौजूदा आईएसईसी योजना उप-घटक को रूप में बैंकों से 4% के उप-वंदित ब्याज दर पर खादी संस्थानों को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उप-घटक के रूप में जारी रहेगी। यह किसी भी खादी संस्था को संस्थागत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।

19. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट निधि (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से इस स्कीम के जरिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को प्रचालनात्मक बनाया गया है। नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा कोलेट्रल मुक्त ऋण सुविधा हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा को 100 लाख रु. से बढ़ाकर 200 लाख रु. कर दिया गया है। इस निधि के कॉर्पस को 2500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत एक अन्य घटक पोर्टफोलियो रिस्क फंड (पीआरएफ) में भारत सरकार सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए सीड्बी को निधि मुहैया कराती है जिसका कि एमएफआई/एनजीओ से ऋण राशि की प्रतिभूति जमा की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है।

20. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), जो इस मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनके प्रदर्शन एवं ऋण साख के अनुसार सूचीबद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन्हें रेटिंग प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 हजार रु.) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

21. **एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना:** एमएसएमई 2018 के लिए वृद्धिशील ऋण पर ब्याज छूट पर एमएसएमई जिनके पास मान्य जीएसटी नम्बर और उद्योग आधार नम्बर है, को नए एवं वृद्धिशील ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करता है, जो अधिकत्तम 1 करोड़ रुपये तक है । सिड्बी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना का लक्ष्य विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों के उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत जो एमएसएमई राज्य/केंद्र सरकार किसी योजना के अंतर्गत ब्याज छूट प्राप्त कर रहे हैं वह प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। .

22. **प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए):** : इस योजना का उद्देश्य नए बाजारों तक पहुंच की पहलों को बढ़ावा देना, विपणन के विभिन्न प्रासंगिक विषयों और विपणीयता के विकास के लिए एमएसएमई को जागरूक और शिक्षित करना है। इस योजना का कार्यान्वयन विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्योलयों, एनएसआईसी और एमएसएमई मंत्रालय के अन्य संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के घटक हैं (क) देशभर में घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसएमई की प्रतिभागिता, (ख) मंत्रालय द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, (ग) एमएसएमई के लिए आधुनिक पैकिंग तकनीकों पर क्षमता निर्माण, (घ) विपणन हाटों का विकास, (ड) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला/सेमिनार, (च) वेंडर विकास कार्यक्रम (छ) जागरूकता कार्यक्रम।

23. **विपणन सहायता स्कीम (एमएएस):** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी द्वारा घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

24. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** इस योजना में विदेश में एमएसएमई की भागीदारी/सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि, हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है और भारत में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए, व्यवसाय एक्सआप्लोदर के अवसर, संयुक्त उद्यम, निर्यात संवर्धन आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्याशालाएं आयोजित कियाजाता है।

25. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का पुनरूद्धार करके 2001 में की गई। एमगिरी का उद्देश्य संपोषणीय और आत्मरनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था के गांधी विजन की भाँति देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के कार्यकलाप इसके 6 प्रभागों जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकविद करते है द्वारा किए जा रहे है।

26. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (एमएसएमई) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), कार्यशाला/ प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और एमएसएमई-विकास संस्थान भी इस कार्यक्रम के तहत शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में सीनेट प्रभाग और कार्यालय पुस्तकालय से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।

27. **सूचना, शिक्षा और संचार:** यह एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं की पहुंच को व्यापक आउटरीच के उद्देश्य से सुनियोजित सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के साथ एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना और कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार के लिए नई योजना है।

28. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** इसके संशोधित दिशा-निर्देशों में (15.10.2018 से प्रभावी) :- (i) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों और मौजूदा राज्य-स्तरीय ईडीआई को अवसंरचनात्मक सहयोग और क्षमता निर्माण। (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण) – के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहातया का प्रावधान है।

नए ईडीआई स्थापित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु निजी प्रशिक्षण संस्थान/एनजीओ शामिल नहीं किए गए हैं।

29. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** यह स्कीम बंद कर दी गई है।

30. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

31. **निधियों की निधि:** यू.के सिन्हा समिति की सिफारिशों की लाइन पर 10000 करोड रूपए की निधि का प्रस्ताव है। यह एमएसएमई कंपनियों के लिए पूंजी विकास की कमी की समस्या का समाधान करेगा। यह मुख्य रूप से बिलकुल नए और प्रारंभिक चरणों के एमएसएमई की सहायता करेगा क्योंकि वीसी/पीसी के माध्यम से इस तरह की इकाइयों के लिए धन जुटाने की कोई संभावना नहीं है। प्रस्तावित निधि के तहत एक मदर-फंड और 34 डॉटर-फंड होंगे। वित्तीय रूप से दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए उप-ऋण भी प्रस्तावित है।

32. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय एक महत्वपूर्ण स्कीम है। देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और उसके समूह की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता निर्माण के साथ-साथ उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, रॉ मटेरियल डिपो, अपशिष्ट ट्रीटमेंट, उत्पादन प्रक्रियाओं की संपूरकता इत्यादि) अवसंरचनात्मक सहयोग और एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। एमएसएमई क्लमस्टगर जिसमें फ्लैटेड फैक्ट्री कॉप्लेक्स की स्थापना शामिल है। उच्च सहायता के रूप में सूक्ष्म/ग्राम आधारित उद्यमों, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इकाइयों पर विशेष बल दिया गया है। महिला उद्यमी संघ को भी महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए सेंट्रल प्लेसेस पर प्रदर्शनी केंद्र लगाने के लिए सहायता दी जाएगी।

33. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** 18 प्रौद्योगिकी केंद्र एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान कर रहे हैं उद्योगों को कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इस बजट में नवीनतम तकनीक की मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए अनुदान सहायता जारी करनी है और नकदी की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए निधि प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा एससीएसपी/टीएसपी शीर्ष के लिए किए गए प्रावधानों से की गई है।

34. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक:** प्रौद्योगिकी केंद्र तंत्र कार्यक्रम (टीसीएसपी) : देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय देश भर में 200 मिलियन यूएसडी की विश्व बैंक की ऋण सहायता सहित 2200 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत से 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी)की स्थापना और मौजूदा टीसी के उन्नयन से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वियन कर रहा है।

टीसीएसपी को अलग-अलग घटकों के साथ एक अभिनव इको-सिस्टम बनाने के लिए संकल्पित किया गया है जो उद्योग विशेष एमएसएमई के लिए मूल्य बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुडेंगे :

• भौतिक अवसंरचना की स्थापना : इसमें 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण शामिल है।

• क्षेत्र विशेष टीसी की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करने के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कलस्टर प्रबंधकों (टीसीएम) की सेवाएं लेना, जिससे एमएसएमई का समर्थन करने में सहायता मिलेगी और एमएसएमई, शिक्षाविदों, बड़े उद्योगों सहित कलस्टर के एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

• रोहतक, भिवाड़ी, बद्दी,बैंगलुरू, दुर्ग, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, सितारगंज, भोपाल,कानपुर, इंफाल, एर्नाकुलम और ग्रेटर नोएडा में टीसीएसपी के तहत 15 स्वीकृत प्रौद्योगिकी केंद्रों में से 13 के निर्माण का कार्य उन्नत चरण में है और पटना और श्रीपेरंबुदूर (चैन्नई) अनुमोदन के अधीन हैं। इनमें से, नए प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, भोपाल और पुडी प्रचालन के लिए तैयार हैं।

35. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:** क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए जमीन की खरीद तथा विद्यमान भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन से संबंधित कार्यों एवं नए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

36. **डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत इकाईयों की संख्या, रोजगार, विकास दर, जीडीपी/उत्पादन मूल्य में हिस्सेदारी, रूग्ण/बंद होने की स्थिति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यात के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और पंचवर्षीय गणना के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना का संग्रह करना है। इस योजना के तहत महिला स्वा्मित्वम अथवा/और प्रबंधित उद्यमियों के आकड़े भी संग्रहीत किए जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूची-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (आईआईपी-एमएसएमई) और सर्वेक्षण, डाटा एनालिटिक्स, क्षमता निर्माण और विज्ञापन एवं प्रचार सहित ज्ञान सेवाएं इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं।

37. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** योजना के मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्विकरण के परिदृष्य में अनुभवजन्य आंकड़ों और अन्यथा अन्य आंकड़ों के आधार पर एमएसएमई के सामने आ रही बाधाओं और चुनौतियों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं के संबंधित और ठोस आंकड़ों को नियमित/आवधिक तौर पर एकत्रित करना है और सरकार द्वारा हस्तक्षेप के लिए नीति अनुसंधान तथा डिजाइन की उपयुक्त नीतियों हेतु इन सर्वेक्षणों और विश्लेषणात्मक अध्ययनों का उपयोग करना है।

38. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब को औपचारिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अक्तूबर, 2016 में लॉन्च किया गया था। इस हब के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के तहत देयताओं को पूरा कर सके, लागू व्यवसाय पद्धतियों को अपना सके और स्टैंड-अप इंडिया पहल का लाभ उठा सकें। यह स्कीम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। हब के कार्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों और उद्यमियों के संबंध में सूचना का संग्रहण, मिलान और प्रचार-प्रसार, कौशल प्रशिक्षण और ईडीपी, वेंडर विकास कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा और भावी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के क्षमता निर्माण इत्यादि शामिल है।

40. **ऋण से जुड़े पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस)-राज्य:** सीएलसीएस-टीयूएस में एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम, विनिर्माण हेतु डिजाइन विशेषज्ञता, जेड प्रमाणन स्कीम में एमएसएमई को वित्तीय सहायता, इक्यूबेटरों के जरिए एमएसई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास, डिजिटल एमएसएमई तथा राज्य सरकार और इसकी संस्थाओं, ऐसी दूसरी संस्थाओं जो पीएमएसी द्वारा स्कीम के सफल कार्यान्वियन के लिए प्रासंगिक पाई गई हैं, के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) राज्य सरकार स्कीम निधि प्रवाह के संबंध में योजना निर्माण जागरुकता के कार्यान्वियन हेतु सहायता शामिल है।

41. **खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य:** राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों / एमएसएमई एक्सपो में आयोजन / भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना आदि। विपणन में पैकेजिंग के महत्व / विधियों / प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी,

आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और एमएसएमई को शिक्षित करने के लिए। व्यापार मेलों, डिजिटल विज्ञापन, ई-मार्केटिंग, जीएसटी, जीईएम पोर्टल, सार्वजनिक खरीद नीति और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकारों द्वारा अपने विभागों / संगठनों / कॉपीराइट / स्वायत्त निकायों और एजेंसियों के माध्यम से निधि प्रवाह।

42. **प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम-राज्य:** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), विकलांग, पूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को कैरियर के विकल्पों में से एक मानने के लिए। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य नए उद्यमों, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता निर्माण और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।